न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 18/2021 राजस्व वाद

सतीश जैन उर्फ छीतरमल जैन पुत्र श्री पीरचन्द जी बणवट (जैन) आयु 54 वर्ष निवासी– वार्ड नम्बर 01 कुण्ड का दरवाजा, करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) अध्यक्ष श्री मगन मदन विहार सेवा संस्थान ट्रस्ट राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के बजाय–

1. श्री मगन मदन विहार सेवा संस्थान ट्रस्ट राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ संस्थान, राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —वादी

बनाम

1. अनिता पुत्री श्री फतह लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गणपत लाल पुत्र श्री रामलाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. पीरू लाल पुत्र श्री रामलाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. बाबू लाल पुत्र श्री फतह लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. मंजू पुत्री श्री फतह लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. मधु पुत्री श्री फतह लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. श्रीमती मोती बाई पत्नी श्री रामलाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. शांति लाल पुत्र श्री फतह लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. संजू पुत्री श्री फतहलाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री फतह लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक क..... करेड़ा

11. हरकचन्द पुत्र श्री नन्द लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) –– डिलिट

12. छीतरमल पुत्र श्री मूलचन्द महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) –– डिलिट

13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

14. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92–क 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार जैन ——अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक– 31/01/2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89,92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 2628 रकबा 0.43 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2629 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2631 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2632 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2633 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2634 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2635 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2636 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2637 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8712/2629 रकबा 0.2656 हैक्टयर कुल किता 10 रकबा 1.0369 हैक्टयर उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 बारह के नाम पर दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 के पूर्वजो व प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा उक्त आराजियात को दिनांक 06 छह दिसम्बर 2003 दो हजार तीन को मनोहर लाल पुत्र श्री मूलचन्द व राकेश कुमार पुत्र श्री छीतरमल [illegible] कब्जा सिपुर्द किया गया व विश्वास दिलाया कि जब भी [illegible] नाम पर कर दी जायेगी, इसके पश्चात उक्त [illegible] जुलाई 2012 दो हजार बारह को वादी को विकय की गयी व वादी जो कि मगन [illegible] विहार पुण्यार्थ ट्रस्ट है, जिसके उपयोग उपभोग मे आ रही है। उक्त भूमि पर वादी काबिज होकर, उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 से उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज करवाने हेतु कहने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखड अधिकारी पदेन

के नाम पर करवाने का आश्वासन दिया गया व प्रतिवादी संख्या 12 बारह द्वारा वादी के नाम पर दस्तावेज पंजीयन करा दिया गया व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 ग्यारह से कई बार उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज करवाने हेतु कहने पर प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 11 ग्यारह हर बार टालमटोल करते चले आ रहे है व आज दिन तक वादी के नाम पर दर्ज नही करायी व उक्त भूमि पर विक्रय की दिनांक 06/12/2003 से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 या उनके पूर्वजो का उक्त भूमि पर कोई दखल व कब्जा नही रहा है व वादी क्रय की दिनांक से उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 11 ग्यारह का वादग्रस्त आराजियात मे कोई हक अधिकार नही है। लेकिन राजस्व रेकार्ड मे उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 11 ग्यारह वादी के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा करने लग गये व दिनांक 15/01/2021 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जबरन बेदखल करने व आराज़ी उनके नाम पर दर्ज होने से अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने की धमकी दी। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 11 का कोई हक अधिकार नही है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 11 वादी को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 11 ग्यारह के नाम पर उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगा तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी व वादी अपनी आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा वादी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे। सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 2628 रकबा 0.43 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2629 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2631 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2632 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2633 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2634 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2635 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2636 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2637 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8712/2629 रकबा 0.2656 हैक्टयर कुल किता 10 रकबा 1.0369 हैक्टयर मे प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 11 ग्यारह के पूर्वजो द्वारा विक्रय कर देने से उनका कोई हक अधिकार नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

होकर वादी क्रय के आधार पर मालिक काबिज है व वादी राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 12 बारह के नाम हटा, राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, उक्त सम्पूर्ण आराजियात के वादीगण खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है , तदनुसार घौषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 12 बारह सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।.... आदि।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया । जिनके अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। दौराने वाद वादी द्वारा प्रार्थनापत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 11 एंव 12 के द्वारा उनका हक हिस्सा वादी के कहे अनुसार श्री मगन मदन विहार सेवा संस्थान ट्रस्ट राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) एवं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ संस्थान, राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के नाम पर दर्ज करवा दिया जाने से उनके विरूद्व कार्यवाही नही चाहने से उनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की गयी व नाम लाल स्याही से डिलिट किया गया एवं साथ ही वादी द्वारा प्रार्थनापत्र पेश कर उक्त भूमि वादी द्वारा श्री मगन मदन विहार सेवा संस्थान ट्रस्ट राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) एवं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ संस्थान, राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) भी संस्थान जो कि पुण्यार्थ ट्रस्ट है, जिस हेतु क्रय करने व वादी के निहित हक अधिकार उक्त ट्रस्टो मे 1/2, 1/2 हक अधिकार निहित मानते हुए उक्त ट्रस्टो के नाम पर दर्ज कराने व वादी के बजाय उक्त ट्रस्टो का नाम दर्ज करने हेतु पेश किया गया, जिसे स्वीकार किया जाकर वादी के बजाय उक्त ट्रस्टो का नाम बतौर वादी दर्ज किया गया।

वादी द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेज पेश किये गये, जो प्रदर्शित किये गये व साथ ही वादी व गवाहान के शपथपत्र पेश हुए, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण के पिता व पति आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 के पूर्वजो व प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा उक्त आराजियात को दिनांक 06/12/2003 को मनोहर लाल पुत्र श्री मूलचन्द व राकेश कुमार पुत्र श्री छीतरमल चौरडिया को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया गया व विश्वास दिलाया कि जब भी नाम पर कराने हेतु कहने पर उनके नाम पर कर दी जायेगी, इसके पश्चात उक्त क्रेता द्वारा दिनांक 30/07/2012 को वादी को विक्रय की गयी है तथा उक्त भूमि जो कि ट्रस्टो के उपयोग उपभोग मे आ रही है। प्रतिवादी संख्या 11 एवं 12 द्वारा भी उक्त भूमि को श्री मगन मदन विहार सेवा संस्थान ट्रस्ट राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) एवं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ संस्थान, राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के नाम पर करवायी गयी है , प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 द्वारा उक्त भूमि विक्रय कर देने से उनका हक अधिकार, स्वत्व नहीं रहा है , वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहन शपथपत्रो के आधार पर भी कब्जा वादी का ही है। उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 10 का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि वादी ट्रस्टो श्री मगन मदन विहार सेवा संस्थान ट्रस्ट राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) एवं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ संस्थान, राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के नाम पर दर्ज की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

कि विवादित आराजीयात पर वादीगण का कब्जा वादी गवाहान के बयानो से साबित होता है व वादी को मौके से बेदखल किया जाता है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना लाजमी होने ।

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:05 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान की ओर से बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया ।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व साक्ष्य के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 2628 रकबा 0.43 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2629 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2631 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2632 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2633 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2634 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2635 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2636 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2637 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8712/2629 रकबा 0.2656 हैक्टयर कुल किता 10 रकबा 1.0369 हैक्टयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि का श्री मगन मदन विहार सेवा संस्थान ट्रस्ट राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) एवं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ संस्थान, राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे श्री मगन मदन विहार सेवा संस्थान ट्रस्ट राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) एवं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ संस्थान, राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के नाम 1/2, 1/2 हक हिस्से अनुसार दर्ज करायी जावे व साथ ही प्रतिवादीगण वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की जाती है। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

प्रकरण संख्या 18/2021 राजस्व वाद
पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

सतीश जैन उर्फ छीतरमल जैन पुत्र श्री पीरचन्द जी बणवट (जैन) आयु 54 वर्ष निवासी– वार्ड नम्बर 01 कुण्ड का दरवाजा, करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) अध्यक्ष श्री मगन मदन विहार सेवा संस्थान ट्रस्ट राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के बजाय–

1. श्री मगन मदन विहार सेवा संस्थान ट्रस्ट राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ संस्थान, राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

1. अनिता पुत्री श्री फतह लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गणपत लाल पुत्र श्री रामलाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. पीरू लाल पुत्र श्री रामलाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. बाबू लाल पुत्र श्री फतह लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. मंजू पुत्री श्री फतह लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. मधु पुत्री श्री फतह लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. श्रीमती मोती बाई पत्नी श्री रामलाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. शांति लाल पुत्र श्री फतह लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. संजू पुत्री श्री फतहलाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री फतह लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
11. हरकचन्द पुत्र श्री नन्द लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —डिलिट
12. छीतरमल पुत्र श्री मूलचन्द महाजन आयु वयस्क निवासी– राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ——डिलिट
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
14. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92–क 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपरिथति मे इस वाद के आज दिनांक 31/01/2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 2628 रकबा 0.43 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2629 रकबा 0.1012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2631 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2632 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2633 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2634 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2635 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2636 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2637 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 8712/2629 रकबा 0.2656 हैक्टयर कुल किता 10 रकबा 1.0369 हैक्टयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि का श्री मगन मदन विहार सेवा संस्थान ट्रस्ट राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) एवं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ संस्थान, राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे श्री मगन मदन विहार सेवा संस्थान ट्रस्ट राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) एवं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ संस्थान, राजाजी का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के नाम 1/2, 1/2 हक हिस्से अनुसार समुचित स्टाम्प ड्यूटी ली जाकर दर्ज की जाने के आदेश दिये जाते है, साथ ही प्रतिवादीगण वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की जाती है। इसी अनुसार निर्णय व डिकी की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे।

(महीपाल सिंह)
उपखंड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेड़ा
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 31/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)
उपखंड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर करेड़ा
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:05 IST
Reason: SelfAttested